

## उत्तरांचल शासन

(30)

### वित्त विभाग

सं २३४ / XXVII(8)/वाणिज्यकर(वैट)/2006

दिनांक: देहरादून: ०३ मई २००८

### अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं १, वर्ष 1904) (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 सपष्टित उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं २७ वर्ष 2005) की धारा ४ की उपधारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-I व अनुसूची-II (ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात्—

#### अनुसूची-I

(क) अनुसूची-I के क्रमांक 42 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी—

42. जैविक खाद, जैव खाद और जैव सूक्ष्म बलबद्धक तथा वनस्पति उपज प्रवर्धक/नियंत्रक और उनके शाकनाशी, कृतकनाशी, कीटनाशी, अपतृणनाशी तथा नाशकजीव मार

(ख) अनुसूची-I के क्रमांक 44 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी—

44. निम्न लिखित रसायनिक उर्वरकों का पौटाश एवं फॉस्फेटिक कम्पोनेन्ट—

(1) डी०ए०पी०(१८:४६:०), (२)एम०ओ०पी०, (३)एस०एस०पी० (४)एन०पी०के०  
(१२:३२:१६) / (२०:२०:०) / (१५:५:१५) / (२३:२३:०) / (१४:३५:१४) / (२०:२०:१०)

(ग) अनुसूची-I के क्रम संख्या-६८ की वर्तमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी—

69. घराट व घराट की स्थापना में लगने वाले उपकरण और किसी विशिष्ट युक्ति से अभिकल्पित घराट

#### अनुसूची-II (ख)

अनुसूची-II (ख) के क्रमांक 27 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी—

27. रासायनिक खाद, सूक्ष्म बलबद्धक तथा वनस्पति उपज प्रवर्धक/नियंत्रक और उनके शाकनाशी, कृतकनाशी, कीटनाशी, अपतृणनाशी तथा नाश जीव मार।

आज्ञा से,


  
(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव, वित्त

655  
५-५-०८

सं०—<sup>२५७</sup> / XXVII(8)/वाणिज्यकर(वैट)/2006 तददिनांक  
प्रतिलिपि प्रेषित—

- 1—कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तरांचल, देहरादून को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि वे समस्त अधिकारियों को तुरंत इस अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तरांचल, रुड़की को उपरोक्त अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित इस आशय से प्रेषित कि इनको उत्तरांचल गजट में प्रकाशित करके इसकी 250—250 प्रतियां शासन को तुरन्त उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

  
प्रमुख सचिव वित्त,  
उत्तरांचल

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 237 /XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/ 2006 dated 03/04/2006 for general information.

## UTTARANCHAL SHASAN

### VITTA VIBHAG

NO. /XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2006  
DATED: DEHRADUN :: 03/04/2006

### Notification

Whereas the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P Act no. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttaranchal), the Governor is pleased to allow to make with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette the following amendment in Schedule-I and Schedule-II (B) of the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005 ; namely-

#### Schedule-I

(a) For the existing entry at serial no 42 the following entry shall be substituted-

42. Organic manure, Bio-fertilizers, Bio-micronutrients and plant growth promoters/regulators and their herbicides, rodenticides, insecticides, weedicides and pesticides.

(b) For the existing entry at serial no 44 the following entry shall be substituted-

Potash and phosphatic components of the following chemical fertilizers-

(1) D.A.P. (18:46:0) (2) M.O.P. (3) S.S.P. (4) N.P.K. (12:32:16) / (20:20:0) / (15:5:15) / (23:23:0) / (14:35:14) / (20:20:10)

(c) After the existing entry at serial no 68 of Schedule - I the following entry shall be added-

69. Water mills (Gharat) and equipments for the establishment of water mills (Gharat) and specially designed devices for improved Gharat (water mills).

#### Schedule-II (B)

For the existing entry at Sl.No. 27 the following entry shall be substituted-

27. Chemical fertilizers, Micronutrients and plant growth promoters/regulators and their herbicides, rodenticides, insecticides, weedicides and pesticides.

By Order,

  
(ALOK KUMAR JAIN)

PRINCIPAL SECRETARY FINANCE